सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. राभा- 3(3)/2025-26 दिनांकः 13.05.2026

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन,
1, संसद मार्ग.
नई दिल्ली-110001

(ध्यानार्थः श्रीमती संगीता तोपनो, उप निदेशक (राभा))

विषय- दिनांक 31.03.2026 को समाप्त अवधि की राजभाषा हिन्दी की तिमाही रिपोर्ट

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31.03.2026 को समाप्त अवधि की राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग-1 और 2 हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एतद्वारा संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. सुधीर कोहकडे)
उप नौवहन महानिदेशक (राभा)

संलग्नः यथोपरि

प्रतिलिपिः
उप निदेशक(कार्यन्वयन), राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, छठी मंजिल, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31.03.2026 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता – नौवहन महानिदेशालय, 9वीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर मार्ग(पूर्व) मुंबई-400042.

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.:एस.टी.डी कोड :022 फोन नं.: 25752016 ई-मेल: sudhir.kohakade@gov.in

1. माननीय मंत्री जी को भेजी फ़ाइलों का ब्यौरा
 i. तिमाही के दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फ़ाइलें भेजी गई- 0
 ii. इसमें से कितनी फ़ाइलें हिंदी में भेजी गईं- 0
2. सचिव/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकों/फ़ाइलों का ब्यौरा
 i. सचिव/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गई- 0
 ii. इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की गई/कार्यवृत हिंदी में जारी किए गए- 0
 iii. सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात- 0
 iv. हिंदी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या- 0
3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागज़ात * की स्थिति:

(क) जारी दस्तावेज़ की कुल संख्या	:	3151
(ख) द्विभाषी रूप में जारी दस्तावेज़ की संख्या	:	3151
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये दस्तावेज़	:	0
(घ) केवल हिन्दी में जारी किए गए दस्तावेज़	:	0

(संकल्प सामान्य आदेश, नियम,अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागज़ात संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) में जारी)

4. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5):

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	:	282
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	:	130
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी में दिए गए	:	152
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	:	00

5. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए):

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे
	(1)	(2)	(3)	(4)
'क' क्षेत्र	328	89	168	71
'ख' क्षेत्र	1121	576	187	358

6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा:

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)
'क' क्षेत्र	70	59	129	54
'ख' क्षेत्र	627	91	718	87
'ग' क्षेत्र	127	36	163	78

7. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां:

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	7288
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	2694
कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	9982
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या	9982

(*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों का गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को पूरा समझा जाए।)
(**मद संख्या 4,5व 6 के संबंध में हिंदी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

8. हिंदी कार्यशालाएं:

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
1 (13.03.2026)	15	90

नोट : कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

9. <u>विभागीय/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि</u>:

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि (केन्द्रीय प्रधान कार्यालय की): दिनांक: 22.04.2026

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या : 12

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या : 1

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? : जी, हाँ

10. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि: लागू नही
(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

11. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य / उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई द्वारा दिनांक 13.03.2026 को राजभाषा संबंधी कार्यान्वयन पर एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नौवहन महानिदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं 19 संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और नराकास के 99 सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्याशाला में भाग लिया। कार्यशाला में व्याख्यान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की सहाय निदेशक, श्री कुसुम शर्मा झा, ने दिया गया जिन्होंने भारती अनुवाद सारथी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और अनुवाद में इसके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया।

12. उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

11/05/26

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम: **श्याम जगन्नाथन, भा. प्र. से.**

पदनाम: **नौवहन महानिदेशक**

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर:022-25752005

ई-मेल का पता: dg-dgs@gov.in

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

भाग - II

(इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भरा जाए)

1. (i)	क्या कार्यालय राजभाषा नियम,1976 के नियम 10(4)(अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है?	जी,हाँ

(ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम,1976 के 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण :-

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या	शेष कार्यालयों को अधिसूचित करने हेतु की गयी कार्रवाई
1	2	3
19	11	-

2(I) अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान:

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1		2		3
(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	36		77		113
(ख)	अनुसचिवीय कार्य से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या*	36		57		93
(ग)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी	कार्यसाधक	प्रवीणता प्राप्त / पारंगत	कार्यसाधक	प्रवीणता प्राप्त / पारंगत	
		10	26	21	56	113
(घ)	कितने कर्मी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं।	0	0	0	0	0
(ड़)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष।	0	0	0	0	0

- कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो फाइल कार्य/पत्राचार से जुड़ा है, अनुसचिवीय की श्रेणी में माना जाएगा

2(II) हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान:

		कुल संख्या	हिंदी में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं	प्रशिक्षण के लिए शेष
		1	2	3	4
(क)	आशुलिपिक*	4	4	4	0
(ख)	टंकक/लिपिक/ सहायक अनुभाग अधिकारी/निजी सहायक	49	40	40	09

(ग)	कर/पोस्टल सहायक आदि	0	0	0	0

- इसमें निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, प्रधान स्टाफ अधिकारी भी शामिल हैं

2(III) अनुवाद का ज्ञान:

		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।	01	03	04
(ख)	उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हैं।	01	02	03
(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।	0	01	01

3. कंप्यूटर पर हिंदी टंकण करने के लिए प्रशिक्षण:

कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या।	कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या।	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या।
1	2	3
93	51	93

4. कंप्यूटर से संबंधित विवरण:

कंप्यूटर/लैपटाप की कुल संख्या	यूनिकोड सक्षम (enabled) कंप्यूटर/लैपटाप की संख्या	हिंदी में किए गए कार्य का प्रतिशत
1	2	3
104	104	75

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि:

	कुल संख्या	द्विभाषी
	1	2
(क) अधिनियम/नियम, कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रकिया साहित्य, आदि।	53	53
(ख) मानकीकृत प्रपत्र	36	36

6.(i) राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु कितने कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए-31

(ii) शेष कार्मिको की संख्या-82

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए)

प्रशिक्षण की अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि)	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में)		
	हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण
1	2	3	4
इस निदेशालय के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है ।			

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

(क) (i) अनुभागों की कुल संख्या : 17

(ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या : 16

(ख) (i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि की कुल संख्या : 19

(ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या : 03

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

कुल संख्या	हिंदी / अंग्रेजी में	अंग्रेजी में
1	2	3
0	0	0

10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (ई-बुक/डिजिटल माध्यम/ई-हिंदी समाचार पत्र सहित)

(i) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय : 1,00000/- रू.

(ii) हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय : 52,000/- रू.

11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य:

उच्च अधिकारियों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कॉलम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते है	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	0	11	13	0	0	0

12. हिंदी जानने वाले (प्रवीणता या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) उप सचिव/समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य:

कार्मिकों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले कार्मिकों की संख्या	कॉलम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते है	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	0	7	10	18	30	04

13. हिंदी के पद:

पदनाम	पदों की संख्या	
	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3
संयुक्त निदेशक (राभा) (एवज़ में उप निदेशक(राभा) की नियुक्ति)	1	0
सहायक निदेशक (राभा) एवज़ में 01 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की नियुक्ति	2	1
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1	0
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	4	3

14. वैबसाइट (संगत स्थान पर टिक चिन्हित करें)

वैबसाइट का पता	केवल अंग्रेजी में	आंशिक रूप से द्विभाषी	पूरी तरह से द्विभाषी
1	2	3	4
www.dgshipping.gov.in	-	✔	-

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:-

(क) हिंदी दिवस/ सप्ताह/पखवाड़ा/माह (कब से कब तक) : 17-26 सितंबर, 2025

(ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय : -

(ग) उपर्युक्त (क) के अलावा हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय (यदि कोई हो):

(घ) नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो तो) -

1. वीडियो संदेश-राजभाषा अधिकारी का वक्तव्य
2. वीडियो स्क्रिप्ट (ट्रीटमेंट सहित)- क. राजभाषा हिंदी- परिभाषा एवं महत्व
 ख. हिंदी दिवस- आयोजन एवं महत्व
3. मासिक गतिविधि – नौमनि की वैबसाइट हेतु प्रति माह निम्न विषयों पर कंटेट तैयार करके पोस्ट किया गया:-
 क. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली पर व्याख्यान
 ख. समुद्री वाणिज्य विभाग मैंगलोर एवं तूतिकोरिन का राजभाषा संबंधी निरीक्षण
4. सोशल मीडिया के 05 प्लैटफॉर्मों- यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, लिंक्ड इन, इंस्टाग्राम के लिए सामाग्री को हिंदी में तैयार करवाना और अपलोड/पोस्ट करने हेतु प्रोत्साहित करना।

16. केवल अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

क. क्या आपका कार्यालय नराकास का सदस्य है?- जी, हाँ

ख. पिछली बैठक के आयोजन की तारीख- 24.12.2025

ग. क्या विभागाध्यक्ष ने विचाराधीन वर्ष में नराकास की दोनो बैठकों में भाग लिया?- जी, हाँ

17. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।

श्याम 11/07/26

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम: **श्याम जगन्नाथन, भा. प्र. से.**

पदनाम: **नौवहन महानिदेशक**

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर:022-25752005

ई-मेल का पता: dg-dgs@gov.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड: ofmh3927 वित्तीय वर्ष: 2025-26

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता/समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

11/05/26

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम: **श्याम जगन्नाथन, भा. प्र. से.**
पदनाम: **नौवहन महानिदेशक**
मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम: नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
दूरभाष नम्बर:022-25752005
ई-मेल का पता: dg-dgs@gov.in

तिथि :- .05.2026
स्थान :- नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

नोट – उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ़. सॉफ्टकॉपी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

1 July. 26.

3 to 4